



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1799 दि. 18.9.09

आदेश


विषय: कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा"।

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत रूप से बढ़े हुए भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/499) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा" योजना, प्रसारित की गई थी। उक्त योजना में आदेश क्रमांक 1567 दिनांक 01.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/505) के द्वारा आंशिक संशोधन किये गये थे। यह योजना दिनांक 14.09.09 तक प्रभावी थी।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/499) व क्रमांक 1567 दिनांक 01.09.09 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/505) द्वारा संशोधित योजना को दिनांक 31.10.2009 तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही रहेंगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से


18.9.09
(एम.एल.त्रिपाठी)

उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvn.com/www.rajenenergy.com पर भी उपलब्ध है।